प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.10.2025

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध पिस्टल व कारतूसो की खरीद-फरौख्त करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.07.25 को थाना मोदीनगर पर धारा 3/5/9/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त **सन्नी उर्फ आधार पुत्र जितेन्द्र चौधरी निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष** को दिनांक 01.10.2025 को तिबडा बम्बा से ग्राम गढी की और जाने वाले रास्ते से मय 10 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है, प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 22.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध पिस्टल व कारतूस की खरीद-फरौख्त कर रहे 02 अभियुक्तों 1. चिराग पुत्र विपिन सांगवान 2. आदित्य उर्फ जोशी पुत्र को गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से कुल 30 अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं वांछितों के विरूद्ध दिनांक 22.07.25 को थाना मोदीनगर पर धारा 3/5/9/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमे वांछितों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन कर लगातार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से बरामदा कारतूसो के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि मैंने 40 कारतूस .32 बोर एक लडके से खरीदे थे जिसका नाम निक्की है जो कृष्णाकुंज तिबडा रोड, थाना मोदीनगर , गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसमें से 30 कारतूस .32 बोर मैने अपने गांव के लडके चिराग को 6000 रुपये में आदित्य गांव जलालाबाद थाना मुरादनगर, गाजियाबाद को बेचने के लिए दिए थे , वे दोनो लडके चिराग व आदित्य उपरोक्त पुलिस द्वारा पकड लिए थे , बाकी बचे 10 कारतूसो को मै बेचने की फिराक मे था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्नी उर्फ आधार पुत्र जितेन्द्र चौधरी निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग व हत्या के सम्बन्ध में 01 अन्य अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कुल 10 अवैध कारतूस .32 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान हत्या के प्रयास, मारपीट,गाली-गलौच व धमकी देने के अभियोग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक छुरी(चाकू) बरामद।

दिनांक 20.09.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी पर नामजद अभियुक्त उस्मान व 01 अन्य द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट व चाकू से हमला करने के सम्बन्ध मे नामजद तहरीर दी गयी थी जिसके आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 115(2)/118(1)/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के बाद मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1)/351(2)/115(2)/3(5) BNS में तब्दील कर विवेचना प्रचलित की जा रही थी तथा अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा जिसमें दिनांक 26.09.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर बन्दी सुधार गृह भेजा जा चुका है तथा दिनांक 01.10.2025 को थाना लोनी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछित अभियुक्त मौहम्मद उस्मान पुत्र मो0 मनसाद निवासी मरकरी चौक, प्रेमनगर, लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से घटना में प्रयुक्त एक छुरी (चाकू) सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि साहब मेरी रिहान पुत्र मेहराज अहमद से पुरानी कहासुनी की बात को लेकर कहासुनी व झगडा हो गया था जिसमे मैने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर रिहान के साथ लात घूसो से मारपीट की ओर मैने छुरी से हमला कर रिहान को घायल कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। मै अब पुलिस से बचता बचाता घुम रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मौहम्मद उस्मान पुत्र मो0 मनसाद निवासी मरकरी चौक, प्रेमनगर, लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त एक छुरी(चाकू) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा वादिया के साथ छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.10.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि प्रतिवादी द्वारा वादिया को परेशान करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में। प्राप्त तहरीर के

आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 75/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 02.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त जावेद उर्फ मुदस्सिर पुत्र सलीम अहमद उर्फ बुन्दा निवासी सिवाल खास थाना जानी मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष को ब्रहमपुरी गली न0 9 से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान घटना कारित करने का इकबाल किया गया है। अभियुक्त, वादिया के घर पर टाईल्स लगाने का कार्य कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जावेद उर्फ मुदस्सिर पुत्र सलीम अहमद उर्फ बुन्दा निवासी सिवाल खास थाना जानी मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:-दिनांक 01/02.10.2024 की रात्रि को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान 01 अभियुक्त मोहित पुत्र कर्मवीर निवासी डी-45 गली नं0 01 हरिजन बस्ती मण्डौली विस्तार थाना हर्ष विहार उत्तर पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष को कोयल एंकलेव में तिकोना पार्क के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त ने बरामद मोटर साइकिल को करीब 7-8 दिन पहले दिल्ली से चोरी किया था। गिरफ्तार अभियुक्त मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित पुत्र कर्मवीर निवासी डी -45 गली नं0 01 हरिजन बस्ती मण्डौली विस्तार थाना हर्ष विहार उत्तर पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मोहित पुत्र कर्मवीर उपरोक्त के विरुद्द थाना टीलामोड़ व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है (कुल 02 अभियोग पंजीकृत है)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी के अभियोग के वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक **05.05.2025** को वादी श्री दानिश पुत्र स्व मौ० युनुस खान पता मकान न0 77 ब्लॉक 11 सेक्टर-3 राजेंद्रनगर साहिबाबाद गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी को प्लाट न0 ए-437 शालीमार गार्डन दिलवाने के नाम पर 17,13,668/ रु0 धोखाधडी कर हडप लेना एवं अभि0गण द्वारा पैसे वापस न करना तथा न प्लाट दिलाना पैसे मांगने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में धारा 420/406/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 02.10.2025 को शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर डीएवी स्कूल से आगे सीवर प्लांट के सामने राजेन्द्र नगर सैक्टर 02 से पास से मुकदमा उपरोक्त के वांछित 02 अभियुक्तगण 1. अनुराग सूरी पुत्र स्व0 विनोद कुमार सूरी नि0 46/7 लाजपत नगर ई ब्लाक साहिबाबाद थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 49 वर्ष 2. रचित जैन पुत्र राजेश जैन नि0 प्लाट नं0 04 रामाकृष्णा बिहार कालोनी थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा-420/467/468/471/504/506 भादवि के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा दानिश पुत्र स्व मौ० युनुस खान पता मकान न0 77 ब्लॉक 11, सेक्टर-3 राजेंद्रनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद के साथ धोखाधडी कर उनसे प्लाट न0 ए-437 शालीमार गार्डन दिलवाने के नाम पर 17,13,668/ रु0 धोखाधडी कर ले लिए थे तथा कूट रचित तरीके से रजिस्ट्री करा दी गयी थी किन्तु ए-437 के नाम से कोई प्लाट नहीं थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. अनुराग सूरी पुत्र स्व0 विनोद कुमार सूरी नि0 46/7 लाजपत नगर ई ब्लाक साहिबाबाद थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र करीब 49 वर्ष।
2. रचित जैन पुत्र राजेश जैन नि0 प्लाट नं0 04 रामाकृष्णा बिहार कालोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर धोखाधडी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।